आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
19.03.2021	1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर०एम०ए० वाद सं० 16/2016-17

सामु पहाड़िया -बनाम- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज

अपीलार्थीः- सामु पहाड़िया, ज०वि०प्र० दुकानदार, पिता-स्व० बदरी पहाड़िया, ग्राम-तेतरिया पहाड़, पंचायत-दुर्गा टोला, प्रखण्ड-बोरियो, जिला-साहेबगंज।

उत्तरवादीः- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।

-: आदेश :-

प्रस्तुत अपील विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा दिनांक 31.10.2016 को पारित आदेश ज्ञापांक 316/आ0, दिनांक 01.10.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दायर की गयी।

अपील आवेदन में अंकित है कि विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय ज्ञापांक 258/आ0, दिनांक 05.08.2016 के द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त अनुपालन में ससमय उत्तरकारी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण दिनांक 16.11.2016 एवं 26.11.2016 को निबंधन डाक द्वारा समर्पित किये। उक्त स्पष्टीकरण पर बिना सुने और बगैर साक्ष्य प्राप्त किये असंतुष्ट होकर अस्वीकृत कर दिये और अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो द्वारा पत्रांक 34/आ0, दिनांक 03.08.2016 को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में अंकित अनुशंसा के आधार पर रद्द कर दिये।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष संतोषजनक और सत्य प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। अपीलार्थी पहाड़िया जाति का है। उन्हें जानकारी नहीं थी कि उपभोक्ताओं से राशन वितरण करने के बदले में मूल्य नहीं लेना है। उक्त तथ्य के संबंध में विभाग द्वारा अपीलार्थी को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं

अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में सही तथ्य दर्शाया गया है। किसी भी राशन कार्डधारी का राशन कार्ड और अपीलार्थी के पंजी को सत्यापित नहीं किया गया है। अपीलार्थी विगत छः वर्षो से सेवा प्रदान कर रहे है। अबतक किसी भी कार्डधारी (लाभुक) ने अपीलार्थी के विरूद्ध कोई भी शिकायत नहीं किये हैं। जहाँ तक सूचना पट लगाने का आरोप है तो इस संबंध में अपीलार्थी का प्रतर्क है कि सूचना पर जनवितरण प्रणाली दुकान में लगाया गया था। दूसरी बात यह है कि अनभिज्ञतावश ली गयी राशि लाभुकों को वापस कर दिया गया है। उक्त तथ्य को स्वीकारोक्ति मानकर अनुज्ञप्ति रद्द करने को आधार बनाना नियमानुकूल नहीं है। यदि जानबूझकर अपीलार्थी द्वारा चावल का कीमत वसूला जाता तो दोषी करार होता। परन्तु यहाँ इस मामले में निःशुल्क वितरण संबंधी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गयी। इसलिए अपीलार्थी पर लगाए आरोप सरासर गलत है। अर्थात स्पष्टीकरण पर गम्भीरता से विचार नहीं की गयी और अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया। अपीलार्थी से भविष्य में ऐसा भूल नहीं होगा। अतएव नियमानुसार अपीलार्थी को अनुज्ञप्ति शर्त के आलोक में अग्रेतर माह में भरपाई करने की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा बी0बी0सी0जे0 ने0 1976 बाबुलाल साव -बनाम- राज्य में पेज नं0 291 पर अंकित है कि

Scanned with OKEN Scanner

ऐसी छोटी भूल माफ करने योग्य है, जो निम्न प्रकार दर्शाया गया है। "The first offence deserves milder punishment" इस रूलिंग के आलोक में दिनांक 31.10.2016 से अबतक अपीलार्थी को राशन का व्यापार करने से वंचित रहना पड़ा है, जो प्रयाप्त दण्ड हो गया। अतएव माननीय अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय ज्ञापांक 258/आ0, दिनांक 05.08.2016 से संबंधित संचिका प्राप्त करके सुनवाई उपरांत उक्त आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति सं0–01/2010 जन वितरण प्रणाली विक्रेता बोरियो को पुनः बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

इस न्यायालय के ज्ञापांक 33/डी0वी0, दिनांक 06.04.2019 के अनुपालन में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 1752/जि0आ0, दिनांक 02.08.2019 द्वारा संबंधित मूल अभिलेख एवं संचिका की छाया प्रति प्राप्त एवं उत्तरकारी को जवाब दाखिल करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

प्राप्त अभिलेख एवं संचिका की छाया प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री सामू पहाडिया जनवितरण प्रणाली विक्रेता बोरियो अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 के संबंध में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो के कार्यालय पत्रांक 34/आ0, दिनांक 03.08.2016 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को कुल पाँच बिन्दुओं पर अनियमितता पाये जाने के कारण जॉच समर्पित किया गया जो निम्नवत हैं:–

1. विक्रेता द्वारा दुकान के बाहर सूचना पट्ट प्रदर्शित नहीं किया गया था।
2. निरीक्षण के क्रम में पहाड़िया उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर बताया गया कि विक्रेता उन्हें अंत्योदय कार्ड पर 30 किलोग्राम चावल 30 (तीस) रूपये लेकर दे रहा हैं।
3. विक्रेता द्वारा राशन कार्ड पर 33 किलोग्राम अंकित किया जाता है।
4. पहांड़िया उपभोक्ताओं को दिये गये चावल तौलने पर पाया गया कि विक्रेता उन्हें 30 किलोग्राम चावल ही दिया है।
5. पी0एच0 कार्डधारियों को दिये गये चावल को तौलने पर प्रति व्यक्ति 04 किलोग्राम चावल दिया गया।

उक्त अनियमितता के आलोक में श्री सामू पहाड़िया जनवितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 को तात्कालीक प्रभाव से रद्ध कर दिया गया।

प्रतिवेदन के साथ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो द्वारा पत्रांक 34 दिनांक 03.08.2010 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को संबोधित पत्र जिसमें जनवितरण प्रणाली दुकानदार से स्पष्टीकरण माँगने एवं असंतुष्ट रहने पर उनका अनुज्ञप्ति रद्ध करने हेतु अनुशंसा अंकित है। उसके साथ–साथ जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं 14 (चौदह) अंत्योदय तथा पी0एच0 कार्डधारियों का राशन कार्ड की छाया प्रति और अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा आदेश ज्ञापांक 316/आ0, दिनांक 31.10.2016 से अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 रद्ध करने संबंधी आदेश और अनुज्ञप्तिधारी के नाम से अनुकम्पा के आधार पर निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 से संबंधित मूल अभिलेख का प्रेषण उपलब्ध हैं।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बोरियो ने श्री सामु पहाड़िया जनवितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान का औचक निरीक्षण के क्रम में पाँच बिन्दुओं पर अनियमितता पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालय पत्रांक 34 दिनांक 03.08.2016 से अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को पत्र प्रेषित कर उक्त दुकानदार को स्पष्टीकरण पूछने एवं असंतुष्ट रहने की दशा में दुकान अनुज्ञप्ति तात्कालीक प्रभाव से रद्ध करने संबंधी अनुशंसा की गयी।

उक्त पत्र के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा कार्यालय ज्ञापांक 258/आ0, दिनांक 05.08.2016 से श्री सामु पहाड़िया जनवितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम–तेतरिया पहाड़, पंचायत–दुर्गाटोला, अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 प्रखण्ड–बोरियो,

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

जिला–साहेबगंज से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त अनुपालन में जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा दिनांक 03.09.2016 को समर्पित स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर अनुमंडल कार्यालय, साहेबगंज से आदेश ज्ञापांक 316/आ0, दिनांक 31.10.2016 द्वारा अनुज्ञप्ति सं0–01/2010 को रद्द कर दिया गया। स्पष्टीकरण में उनके द्वारा अपनी भूल स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृति नहीं होने के शर्त पर अपील अभ्यावेदन में उदाहरणार्थ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित निदेश का हवाला दिया गया कि बी0बी0सी0जे0 1976 पेज नं0–291 बाबुलाल साव –बनाम– राज्य में निर्धारित किया गया कि "The first offence deserves milder punishment" इस रूलिंग के आलोक में अबतक अपीलार्थी को राशन दुकान का व्यापार करने से वंचित रहना पड़ा है जो प्रयाप्त दण्ड है। अतः उक्त आधार पर अत्यन्त गरीब पहाड़िया जाति का जनवितरण प्रणाली विक्रेता रहने के कारण इसका रद्द अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 को पुनर्विचार कर इनके भूल क्षमा एवं एवं एक मौका देते हुए पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना के बी0बी0सी0जे0 1976 बाबुलाल साव –बनाम– राज्य में पेज 291 पर निहित निदेश The first offence deserves milder punishment एवं अपीलार्थी के अनुरोध पर विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 316/आ0, दिनांक 31.10.2016 द्वारा अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 को रद्द करने संबंधी आदेश को विलोपित किया जाता है। श्री सामु पहाड़िया, जनवितरण प्रणाली विक्रेता, ग्राम–तेतरिया पहाड़, पंचायत–दुर्गाटोला, प्रखण्ड–बोरियो, साहेबगंज का अनुज्ञप्ति संख्या 01/2010 को एक चेतावनी देते हुए पुनर्जीवित किया जाता है। आदेश से उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को अवगत कराएं। आदेश की प्रति संचिका की छाया प्रति एवं मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए। इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

19/3/21

उपायुक्त
साहेबगंज।

19/3/21

उपायुक्त
साहेबगंज।

ज्ञापांक 271/डी0सी0
25.11.21

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2025.08.25 13:30:55 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner